6. सिनेमा (Cinema)

जिस प्रकार शिक्षा-संस्थाओं के खातों की जांच अनिवार्य नहीं है, उसी प्रकार किसी सिनेमा के खातों की जांच भी आवश्यक नहीं है, मगर अधिकांशतः सब सिनेमाघर अपने खातों का अंकेक्षण करवाते हैं। उनके खातों के अंकेक्षण में अंकेक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

सामान्य सूचनाएं (General Information)

सर्वप्रथम कार्य जो अंकेक्षक को एक सिनेमा के खातों की जांच के समय ध्यान में रखना चाहिए, यह है कि उस संस्था में अपनायी जाने वाली **आन्तरिक निरीक्षण** की प्रणाली की जांच करनी चाहिए।

आय (Income)

(1) एक सिनेमाघर की आय वहां के **टिकटों की बिक्री से होती है, अतः अंकेक्षक को वहां के प्रतिदिन के टिकटों की बिक्री का मिलान टिकटों की किताब के प्रतिपर्ण** (counterfoils) से करना चाहिए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि वह रकम बैंक, आदि में उचित रूप से जमा कर दी गयी है या नहीं। इस सम्बन्ध में उसे वहां की रोकड़ बही को देखना चाहिए।

(2) अंकेक्षक को इस बात की भली-भांति जांच करनी चाहिए कि **पेशगी बेचे गए टिकटों की राशि** उचित रूप से आगे ले जायी गयी है या नहीं।

(3) **विज्ञापन की आय** का भी उचित रूप से लेखा किया जाना चाहिए।

व्यय (Expenditure)

(4) अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि **पूंजीगत एवं लाभगत व्ययों में** अन्तर किया गया है या नहीं। जितने भी पूंजीगत व्यय हैं उनकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।

(5) कर्मचारियों को दिए गए **वेतन** के भुगतान का प्रमाणन किया जाना चाहिए।

(6) अंकेक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि **मनोरंजन कर** सरकार को दिया गया है या नहीं। इसी सम्बन्ध में कुल बिके हुए टिकटों के लेखों की सहायता से मनोरंजन-कर के लेखों की जांच करनी चाहिए।

(7) **मरम्मत एवं नवीनीकरण के खर्चों** का भी उचित प्रमाणकों से मिलान करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(8) इसके अतिरिक्त, अंकेक्षक को सिनेमाघर के **अन्य खर्चे,** जैसे—विज्ञापन, बिजली, आदि के खर्चों की भी उचित रूप से जांच करनी चाहिए।

अन्य (Other)

(9) अंकेक्षक को सिनेमाघर की **सम्पत्तियों का अंकेक्षण** अत्यधिक सावधानी के साथ करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि उन सम्पत्तियों पर उचित रूप से ह्रास लगा दिया गया है या नहीं।

(10) अंकेक्षक को सिनेमा में रखी **फिल्मों के मूल्य का अंकेक्षण** उचित रूप से करना चाहिए।

(11) अंकेक्षक को सिनेमाघर के **बिक्री सम्बन्धी सौदों** और फिल्मों को किराए पर लेने के सौदों का अंकेक्षण सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

(12) यदि कैण्टीन मालिकों के द्वारा चलायी जा रही है, तो उसकी आय व व्यय का सत्यापन करना चाहिए। यदि कैण्टीन किराए अथवा ठेके के आधार पर दे दी गयी है तो उससे सम्बन्धित प्रसंविदों का सत्यापन करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि प्राप्तियों के उचित लेखे कर दिए गए हैं।

7. **होटल** (Hotel)

एक होटल का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

सामान्य सूचनाएं (General Information)

(1) होटल के संविधान का निरीक्षण करना चाहिए और प्रबन्ध की सूची तथा कर्मचारियों को दिए गए अधिकार की जांच की जानी चाहिए। होटल का स्वामी अकेला व्यक्ति या फर्म या कम्पनी कोई भी हो सकता है।

(2) अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि होटल में अपनायी गयी **आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली** कहां तक उचित है। इस प्रणाली की उपयोगिता का पता लगाने के लिए अंकेक्षक को निम्न मदों की जांच करनी चाहिए:

(अ) भोजन, शराब व अन्य **आवश्यक वस्तुओं के लिए दिए गए ऑर्डर** व उनकी प्राप्ति की प्रणाली उचित है या नहीं। उनका भुगतान उचित ढंग से किया जाता है या नहीं।

(ब) खजांची और होटल के **नौकरों द्वारा प्राप्त रकम** का लेखा किस प्रकार किया गया है।

(स) उपर्युक्त सब वस्तुओं के बारे में उचित लेखे।

(द) यात्रियों से आय का लेखा रखने की व्यवस्था।

आय (Income)

एक होटल की आय का मुख्य साधन यात्रियों से प्राप्त राशि के रूप में है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए :

(3) यात्रियों से जो **रकमें** प्राप्त हुई हैं उनकी **सत्यता का पता** लगाने के लिए रोकड़ बही एवं खिड़की पर रखी जाने वाली खाता-बही का मिलान करना चाहिए। खिड़की पर रखी जाने वाली खाता-बही का मिलान अव्यक्तिगत (impersonal) खातों में किए गए लेखों से करना चाहिए।

(4) अगर कोई **अदत्त बाकियां** हैं तो उनका मिलान सामान्य खाता-बही के खातों की बाकियों से करना चाहिए।

(5) **अन्य विविध प्राप्तियों की जांच** अत्यन्त सावधानी से करनी चाहिए।

व्यय (Expenditure)

(6) अंकेक्षक को देखना चाहिए कि **पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में अन्तर** किया गया है या नहीं। इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि क्रय, बीजक, आदि ठीक से लिखे गए हैं या नहीं। साथ ही इस बात को भी देखना चाहिए कि खरीदी गयी वस्तुओं के लिए कहीं अधिक कीमतें तो नहीं दी गयी हैं। अंकेक्षक को उन वस्तुओं का स्टॉक गिनकर खाते से मिलान करना चाहिए।

(7) अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि मजदूरों एवं कर्मचारियों को दी गयी **मजदूरी एवं वेतन** का ठीक-ठीक लेखा किया गया है या नहीं।

(8) **खुदरा रोकड़ के खातों की जांच** भली-भांति करनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(9) **सजावट** और **पैकिंग** आदि के **व्यय** अगले दो-तीन वर्षों में बांटे गए हैं या नहीं।

(10) उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि होटल की **सम्पत्तियां एवं दायित्व** ठीक-ठीक चिट्ठे में दिखाए गए हैं या नहीं।

(11) होटल के द्वारा दिए गए करों के भुगतान का प्रमाणन किया जाना चाहिए।

(12) फर्नीचर व साजसज्जा के क्रय का प्रमाणन किया जाना चाहिए।

अन्य (Other)

(13) स्टोर्स, शराब, क्रॉकरी, आदि के स्टॉक का सत्यापन करना चाहिए।

(14) इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर, बर्तन, शीशे के सामान, स्टोर्स, आदि पर ठीक-ठीक ह्रास लगाया गया है और यह उचित है।

8. **अस्पताल** (Hospital)

सामान्य सूचनाएं (General Information)

(1) एक अस्पताल से सम्बन्धित खातों की जांच करते समय अंकेक्षक को सर्वप्रथम उस अस्पताल के **प्रन्यास प्रपत्र** (Trust Deed) का अध्ययन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसमें कितनी बातें खातों से सम्बन्धित हैं। सम्बन्धित प्रन्यास अधिनियम (Trust Act) का अध्ययन करना चाहिए।

(2) इसके अतिरिक्त, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि प्रतिभूतियां एवं उनके **अधिकार-पत्र** (Title Deeds) **प्रन्यासियों के सामूहिक नाम** में रखे जाते हैं।

(3) अंकेक्षक को उस अस्पताल की **आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली** का अध्ययन करना चाहिए।

आय (Income)

(4) **रोकड़ प्राप्तियों** का रसीदों के प्रतिपर्णों से मिलान करना चाहिए। उनका मिलान रोकड़ बही से किया जाना चाहिए।

(5) इसके अलावा, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि सब प्रकार के किरायों की आय, लाभांशों और विनियोग पर ब्याज, आदि का उचित लेखा किया गया है या नहीं।

(6) **चन्दे एवं दान के रूप में प्राप्त हुई** रकमों की रोकड़-बही में की गयी प्रविष्टियों का मिलान रसीदों के बचे हुए भागों से करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उसी काम के लिए प्रयोग की जा रही हैं, जिनके लिए वे ली गयी हैं।

(7) **सरकार या म्युनिसिपल कमेटी से प्राप्त रकमों** (Grants) का उचित लेखा होना चाहिए।

(8) मरीजों को दिए गए बिलों की जांच, बिल रजिस्टर, बिलों की कार्बन प्रतिलिपि तथा मरीजों के उपस्थिति रजिस्टर से की जानी चाहिए।

(9) (यदि अस्पताल आय-कर से मुक्त हो) लाभांशों तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर काटे गए आय-कर की रकम वापस ले ली गयी है अथवा नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।

व्यय (Expenditure)

(10) **व्यय** के सम्बन्ध में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि दवाइयां एवं अन्य सामान की खरीद अधिकृत है और उसका उचित लेखा पुस्तकों में कर दिया गया है।

(11) स्टोर सामग्री, जैसे दवाइयां, कपड़े, औजारों, आदि की प्राप्ति तथा विभिन्न विभागों को निर्गमन के सम्बन्ध में उचित लेखे रखे गए हैं अथवा नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।

(12) अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर, प्रशासकीय स्टाफ नर्सें व निम्न स्टाफ को दिए गए वेतन का प्रमाणन करना चाहिए।

(13) व्ययों के सम्बन्ध में यह देखना चाहिए कि आयगत व पूंजीगत व्ययों में अन्तर किया गया है अथवा नहीं।

अन्य (Other)

(14) अन्तिम स्टॉक तथा उसके मूल्यांकन का सत्यापन किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(15) आय-व्यय के लिए तैयार किए गए बजट का निरीक्षण करना चाहिए और बजट किए गए तथा वास्तविक आय व व्ययों का मिलान करना चाहिए।

(16) स्थायी सम्पत्तियों, जैसे फर्नीचर एवं औजारों पर उचित ह्रास की व्यवस्था हुई है अथवा नहीं, यह देखना चाहिए।

9. धर्मार्थ संस्थाएं (CharitableInstitutions)

धर्मार्थ संस्थाओं के अंकेक्षण में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

सामान्य सूचनाएं (General Information)

(1) सर्वप्रथम अंकेक्षक को इस संस्था के **विधान की जांच** सावधानी से करनी चाहिए।

(2) उसे प्रबन्ध समिति की **कार्यवाही-विवरण पुस्तिका की जांच** करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसके प्रस्ताव कहां तक संस्था में लागू किए जा रहे हैं।

अन्य (Other)

एक धर्मार्थ संस्था की आय के मुख्य साधन **दान एवं चन्दे, सरकारी सहायता,** आदि की राशि है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए :

(3) जो चन्दा एवं दान प्राप्त किया गया है, उसे दी हुई **रसीदों के प्रतिपर्णों का पुस्तकों** में की गयी **प्रविष्टियों से मिलान** करना चाहिए। प्रतिपर्णों पर एक उचित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए एवं वे क्रमानुसार होने चाहिए। उन प्राप्तियों को दान एवं चन्दे के रजिस्टर से भी मिलाना चाहिए। चन्दे एवं दानों की छपी हुई सूचियों की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।

(4) यदि उस संस्था की कोई **सम्पत्ति किराए** पर उठी हुई है, अथवा उस संस्था के कुछ विनियोग हैं तो इस सम्पत्ति एवं विनियोगों से प्राप्त **आय** का उचित रूप से लेखा होना चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक को उचित प्रमाणकों की जांच करनी चाहिए। इनसे सम्बन्धित पुस्तकें भी उचित रूप से रखी जानी चाहिए।

(5) **पेशगी प्राप्त चन्दों एवं दान का भी उचित रूप से लेखा** करना चाहिए। इसी प्रकार अगर उत्तरदान (Legacies) से कुछ रकम बाकी है, तो उचित प्रपत्र की जांच करनी चाहिए। बाकी चन्दों की एक सूची प्राप्त करनी चाहिए।

(6) **अगर उस संस्था को कोई सरकारी सहायता** प्राप्त हुई है, तो उसकी जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।

व्यय (Expenditure)

धर्मार्थ संस्था के व्ययों की जांच करते समय अंकेक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :

(7) सर्वप्रथम उसे **पूंजीगत व्यय एवं लाभगत व्ययों का अन्तर** स्पष्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई विनियोग अथवा सम्पत्तियां क्रय की गयी हैं, तो उनकी जांच उचित प्रमाणकों से करनी चाहिए।

(8) अंकेक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यय किए जा रहे हैं वे वास्तव में संस्था से सम्बन्धित हैं। उसे व्ययों के लेखों का प्रमाणन करने के लिए प्रपत्रों की जांच सावधानी से करनी चाहिए।

(9) कर्मचारियों को दिए गए वेतन का प्रमाणन करना चाहिए।

(10) वर्ष के अन्त में **विनियोगों से सम्बन्धित** एक बैंक का **प्रमाण-पत्र** प्राप्त करना चाहिए। अन्य सम्पत्तियों एवं दायित्वों की जांच भी उचित रूप से करनी चाहिए।

(11) जो **संचय** किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखे गए हैं उनका प्रयोग उचित रीति से होता है या नहीं।

Scanned with CamScanner